बिहार विधान परिषद के लिए शून्यकाल सूचना	
श्री विनोद कुमार सिंह, मा0 स0वि0प0 द्वारा सदन में दिनांक –04.04.2012 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना के उत्तर के संबंध में ।	**श्री नरेन्द्र नारायण यादव,** प्राधिकृत एवं प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
शून्यकाल सूचना	**उत्तर**
दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार मधुबनी जिला के अंधराठाढ़ी प्रखण्ड के महरैल गांव में मंगलवार की देर शाम अगलगी से डेढ़ दर्जन से अधिक परिवारों के घर जलकर राख हो गये । इस अगलगी मे लाखों रू0 मूल्य की परिसम्पत्ति के जलने का अनुमान है । घटना में श्री भूषण महतो, श्री रामनारायण महतो, श्री बेचन महतो, श्री रघुनाथ महतो एवं श्री मुन्ना महतो का घर पूरी तरह जल गया है । ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के बाद अग्निशमन की गाड़ी पहुँची । फायर ब्रिगेड के देर से पहुँचने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है । हताहत परिवारों को अभी तक मुआवजा के नाम पर कुछ नहीं मिल पाया है । वे खुले आसमान के नीचे गुजर–बसर करने को विवश हैं । अतः मैं सरकार से उक्त अगलगी की घटना के प्रभावितों को मुआवजा देने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।	अन्धराठाढ़ी अंचल के महरैल गॉव के टोले कोरियानी में दिनांक –3.04.2012 को संध्या 7 बजे अग्निकांड की घटना में निम्नलिखित 10 व्यक्तियों का आवासीय घर जला है :– 1. श्री भूखन महतो, पे0 पलट महतो 2. श्री रमेश महतो पे0 भूखन महतो 3. श्री दिनेश महतो पे0 भूखन महतो 4. ललिता देवी पति भोला महतो 5. श्री बेचन महतो पे0 लक्ष्मण महतो 6. श्री रघुनाथ महतो पे0 लक्ष्मण महतो 7. श्री ललन महतो पे0 भगलू महतो 8. श्री विन्देश्वर महतो पे0 जनक महतो 9. श्री भगलू महतो पे0 मानकी महतो 10. प्रमीला देवी पति उमेश महतो । उक्त व्यक्तियों के अलावे और किसी का भी घर नहीं जला है । अग्निकांड से प्रभावित उक्त 10 व्यक्तियों के परिवारों को नगद अनुदान के रूप में वितरित राशि 1500/–रू0 प्रति परिवार की दर से कुल 15000/–रू0, वस्त्र/ बर्तन मद में वितरित राशि 1300/–रू0 + 1400/- = 2700/- रू0 की दर से कुल 27000/–रू0, क्षतिग्रस्त मकानों हेतु नगद अनुदान 2500/–रू0 प्रति परिवार की दर से कुल 25000/–रू0, खाद्यान्न प्रति परिवार 100 कि0ग्रा0 की दर से कुल 1000 कि0ग्रा0 तथा पॉलिथीन शीट्स प्रति परिवार 1 पीस की दर से कुल 10 पीस का वितरण किया गया है । इसके अलावे बी0पी0एल0 परिवारों को इंदिरा आवास की स्वीकृति के लिए अंचल अधिकारी के द्वारा अभिलेख खोलकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अन्धराठाढ़ी को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभावित परिवारों को नये मानदर के अनुसार अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है । गृह क्षति अनुदान का भी भुगतान कर दिया गया है । साथ ही, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी घटना स्थल पर समय से ही पहुँची थी।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक–04/वि0प0शू0का0–27/2012/........................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–अवर सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को उनके ज्ञापांक–1200(1) दिनांक–13.04.2012 के कम में 04 (चार) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव

4621

ज्ञापांक–04/वि0प0शू0का0–27/2012/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 26/12/14

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय बेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/12/14
संयुक्त सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai QA Shoonyakal 22-5-2012.docx